

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही**  
**(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)**

राजस्व निगरानी संख्या: 02/2023

**प्रार्थी**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरौही

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

श्री हरसन पुत्र पन्नाजी, जाति- मेघवाल, निवासी-रोहुआ, तह. रेवदर, जिला- सिरौही  
"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)  
नियम, 1970"

**उपस्थिति:**

1. परोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :-

**दिनांक 19 नवम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ के खसरा संख्या 702/1041 रकबा 3.00 बीघा किस्म धोरा भूमि का अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटिती भूमि रकबा 3.00 बीघा का मौके पर आवंटिती को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक आवंटिती/अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नहीं चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नहीं है एवं काश्त भी दर्ज नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश सिंह कुम्पावत द्वारा जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी गई एवं अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। तत्पश्चात् इस प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.11.2024 को अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश सिंह कुम्पावत द्वारा अप्रार्थी की ओर से पैरवी के कोई निर्देश नहीं (No Instruction) होना व्यक्त किया। जिस पर इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को तीन बार आवाजें लगवाई गईं, लेकिन अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

(3) विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ के खसरा संख्या 702/1041 रकबा 3.00 बीघा किस्म धोरा भूमि का अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि का मौके पर आवंटिती/अप्रार्थी को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा

....पेज दो पर

**अति. जिला कलेक्टर**  
**सिरौही (राज.)**



काशत लगातार नहीं चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नहीं है एवं काशत भी दर्ज नहीं है। अप्रार्थी/आवंटिती ने आवंटन का शर्तों का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी/आवंटिती को उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ के खसरा संख्या 702/1041 रकबा 3.00 बीघा किस्म धोरा भूमि का अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि का अप्रार्थी/आवंटिती को कब्जा सुपर्द किया जाकर जरिये नामान्तरकरण आवंटित भूमि आवंटिती/अप्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन है कि "आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है, तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काशत लगातार नहीं चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नहीं है एवं काशत भी दर्ज नहीं है।" प्रार्थी पक्ष का यह भी कथन है कि "अप्रार्थी/आवंटिती ने आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है।"

राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काशत करनी आवश्यक है। चूंकि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थी का कब्जा काशत नहीं रहा है एवं वर्तमान में भी प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काशत नहीं है। इस प्रकार, आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्त का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

#### आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी, अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थी सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ के खसरा संख्या 702/1041 रकबा 3.00 बीघा किस्म धोरा भूमि का अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19 नवम्बर, 2024 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सिरोही